जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 09.12.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3306 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3306 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत मुडाडीहा से इवेंट सं0 **45416** द्वारा कालर शिवचरन चौरसिया ने मो0नं0 8470920143 से दो मोटरसाइकिल का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना मे 02 व्यक्तियों (01. किरण पत्नी रामबदन 02. रामबदन पुत्र मंगरू निवासी ग्राम सेमरियावां थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने सम्बन्ध में सूचना दिया सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 आशुतोष विश्वकर्मा, हो0चा0 परमेश्वर।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 139 वाहनों से 1,42,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 139 वाहनों से 1,42,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशव नाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री लाल बिहारी निषाद*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 366/2024 धारा 74,64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता ललित पुत्र रामलौट निवासी धनखिरिया तेतरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 09.12.2024 को सहजनवा मोड़ बखिरा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 05.12.2024 को थाना बखिरा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग नतिनी के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा

पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह, आ0 श्यामबहादुर यादव, आ0 सूरज रावत।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के पीड़ित के बैंक खाते में 8000/- रु0 वापस कराये गए

वर्तमान समय में तेजी से बढ रहे साइबर अपराध के रोकथाम के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के कुशल निर्देशन में साइबर सेल दुधारा द्वारा सर्वाजनिक स्थानों, स्कूल, कालेज, बाजार आदि में समय -समय पर साइबर जागरुकता अभियान चलाकर लोगों को जागरुक किया जा रहा है तथा साइबर फ्राड होने पर M.H.A द्वारा जारी साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 व साइबर क्राइम की बेवसाइट cybercrime.gov.in पर शिकातय दर्ज करने हेतु बताया जा रहा है। इसी क्रम में पीड़ित मो0 सलीम पुत्र श्री वाजिद अली निवासी अमरा कोइल थाना दुधारा जनपद संतकबीनगर के साथ 8000/- रुपये का फ्राड हुआ, जिसके उपरान्त उन्होने साइबर क्राइम की हेल्प लाइन नंबर 1930 पर काल कर अपनी शिकायत दर्ज करायी गयी थी। आज दिनांक 09.12.2024 को NCRP PORTAL पर प्राप्त पीड़ित के शिकायत संख्या 33111240147027 पर त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के खाते में 8000/- रुपये वापस कराये गये।

साइबर सेल थाना दुधारा टीम का विवरण –

(i) पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षणाधीन श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय।
(ii) वरि0 उ0नि0 श्री प्रमोद यादव।
(iii) का0 सतीराम चौहान।
(iv) का0 ऋषिकेश यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 693/2024 धारा 376 भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता संदीप यादव पुत्र स्व0 मूलचन्द निवासी बन्तवार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 09.12.2024 को सिरसी चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना धनघटा पर वादिनी के साथ दुष्कर्म कारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, हे0का0 आनन्द दूबे।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 02 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 09.12.2024 को ***सी0 जे0 (जे0 डी0) जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 712/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में दोषसिद्व अभियुक्तगण नाम पता 01. इसहाक पुत्र खदेरन 02. तैयब पुत्र तल्लन निवासीगण साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।